



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimcofrolko@gmail.com

पत्र सं० ४४/यू.पी./०४/३७/२०१८/एफ.सी./३८

दिनांक: ०५-५-१८

सीमा में,
नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण),
वन विभाग, १७ राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/TRANS/26448/2017

विषय : ७६५ के०वी० डबल सर्किट उरई-अलीगढ़ पारंपरिक लाईन निर्माण हेतु एटा में १.२३ हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित ०४ वृक्षों के पतन, फिरोजाबाद में ०.८०७२ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित ०४ वृक्षों के पतन, मैनपुरी में ०.७८८४ हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग कुल २.८२५६ हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित ०८ वृक्षों के पतन की अनुमति।

सन्दर्भ:-मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-२८०१/उरई-अलीगढ़ लाइन(२.८२५६ हे०)/२६४४८/२०१७, दिनांक- ०२.०४.२०१८

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विधायित्व प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा-(२) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करे ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. प्रस्ताव के औचित्य के संबंध में कोई उल्लेख नहीं प्रस्तुत किया गया है।
2. प्राधिकार पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. वन संरक्षण अधिनियम १९८० के प्रावधानों का उल्लंघन प्रतिवेदित है। अतः दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं एजेंसी को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कृत कार्यवाही एवं जुर्माना आदि का विवरण उपलब्ध कराया जाए।
4. प्रभागीय निदेशक, एटा द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित वन भूमि को न्यूनतम नहीं होने का उल्लेख किया गया है, जिसे स्पष्ट करना चाहिए।
5. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि एवं क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूखण्ड का सर्वे ऑफ इण्डिया का टोपोग्राफिक मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)



प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनसंरक्षक/निदेशक, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, उ० प्र०।
3. मुख्य प्रबन्धक, पावरग्रिड कार्पो० ऑफ इण्डिया लि०, मैनपुरी, उ० प्र०।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्राथमिकता

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- ३०४९/उरई-अलीगढ़ लाइन(२.८२५६ हे०)/२६४४८/२०१७, दिनांक, लखनऊ, मई ०७, २०१८

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ एवं आगरा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को तीन मूल प्रति में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, एटा, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार स्पष्ट सूचना एवं अभिलेख निर्धारित प्रारूप में अपने वन संरक्षक को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि मुख्य प्रबन्धक, पावरग्रिड कार्पो० ऑफ इण्डिया लि०, मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा

पत्रांक ५१२०१/१५५ आगरा, दिनांक ०९/५/२०१८

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८०
उ० प्र०, लखनऊ।

१. प्रतिलिपि-प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार स्पष्ट सूचना एवं अभिलेख निर्धारित प्रारूप में अपने वन संरक्षक को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
२. प्रतिलिपि-प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार स्पष्ट सूचना एवं अभिलेख निर्धारित प्रारूप में अपने वन संरक्षक को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
३. प्रतिलिपि-मुख्य प्रबन्धक, पावरग्रिड कार्पो० ऑफ इण्डिया लि०, मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वन संरक्षक

०९/०५/१८ आगरा वृत्त, आगरा